न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगाड़िया बनाम महेन्द्र सुन्दर पि० जसराम अधीर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :- RA/36/2017 निर्णय दिनाँक :- 26/X/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ..... की आ॰ख॰न॰ 161 कुल रकबा 1.57 किस्म जमीन गै०मु० तलाई में से 0.01 रकबे पर श्री महेन्द्र सुन्दर पि० जसराम पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ..... पूर्वाडालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिगाड़िया द्वारा दिनाँक ..... 29/9/17 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ कठूमर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी महेन्द्र सुन्दर S/o जसराम जाति अधीर निवासी मानपुरा को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी सुन्दर ..... पुत्र (पुत्र) उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 161 रकबा 1.57 में से 0.01 रकबे किस्म गै०मु० तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा बौरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paise का 50 गुणा 3/- Three रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगाड़िया भू॰अ॰निरी॰ ..... कठूमर को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/17

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)